कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ. 16(Mining)2021/एफसीए/प्रमुवसं./ 3678 दिनांक 10.11.2022

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर

विषयः– Diversion of 74.2490 ha. forest land in favour of RDSA Mining LLP for Opencast Marble Mining in Revenue Village-Dausa, Thisil-Pipalkhunth, District-Pratapgarh, Rajasthan.
(Proposal No. FP/RJ/MIN/142599/2021)

सन्दर्भः–आपका पत्रांक 7140 दिनांक 07.10.2022

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएं/स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित है:–

1. प्रस्ताव में शामिल गैर वनभूमि के स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र उप वन संरक्षक द्वारा एकजाई संलग्न किया गया है, जबकि इन्हें अलग अलग दिया जाना अपेक्षित है।
2. ऑनलाइन प्रस्ताव के पार्ट–II के बिन्दु संख्या 5 एवं 6 में प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वनभूमि मृदा एवं जल संरक्षण कार्यवृत्त अधीन एवं प्रस्तावित वन क्षेत्र मृदा अपरदन प्रवृत्त (prone) बताया है। उप वन संरक्षक मृदा के अपरदन कम/रोकने हेतु कोई योजना संलग्न नहीं की गयी है।
3. ऑनलाइन प्रस्ताव के पार्ट–I में संलग्न KML File देखने पर पाया कि माईनिंग लीज से बाहर पक्का रोड है जो वन क्षेत्र के अधीन दिख रहा है। यूजर ऐजेन्सी द्वारा उक्त रोड माईनिंग लीज में शामिल नहीं किया गया है, स्पष्टीकरण देवें। उक्त मार्ग को लीज क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।
4. ऑनलाइन प्रस्ताव के पार्ट–I के बिन्दु संख्या E में प्रस्ताव की औचित्यता में खान विभाग द्वारा सर्वे हेतु गठित टीम की रिपोर्ट संलग्न नहीं की गयी है।
5. ऑनलाइन प्रस्ताव के पार्ट–I बिन्दु संख्या G में Cost Benefit Analysis पुरानी NPV/CA की दरों के आधार पर बनाया गया है एवं प्रस्ताव में मात्र लीज कार्य अवधि 10 वर्ष रखी गयी है जबकि माइनिंग प्लान में लीज कार्य अवधि 24 वर्ष है। दरों में वृद्वि होने के कारण वर्तमान दरों के आधार पर बनाया जाना प्रस्तावित है।
6. ऑनलाइन प्रस्ताव के पार्ट–I बिन्दु संख्या B2.4 में कम्पोनेंट माईनिंग प्लान अनुसार कम्पोनेंट वाइज विवरण संलग्न नहीं किया गया है।
7. माईनिंग प्लान अनुसार लीज में शामिल खसरों का योग 112.75 है0 आता है जबकि प्रस्ताव 74.249 है0 का है। कारण स्पष्ट किया जाना प्रसतावित है। खसरावार एरिया केलकुलेशन शीट संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
8. प्रस्ताव में संलग्न राजस्व मैप अनुसार खसरा संख्या 347 लीज में शामिल किया गया है जबकि माईनिंग प्लान में दिये गये विवरण अनुसार उक्त खसरा लीज में शामिल नहीं है। अतः राजस्व मैप एवं गूगल मैप में वन क्षेत्र की सीमा में अन्तर होने से संशोधित सीमा विवरण संलग्न कर संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

भवदीया,

Shikha
(शिखा मेहरा)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ. 16(Mining)2021/एफसीए/प्रमुवसं./3679-80 दिनांक 10.11.2022

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उप वन संरक्षक, प्रतापगढ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, RDSA Mining LTD A-404, अमर विलास अपार्टमेंट, उदयपुर

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर